भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3968
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना की सामाजिक संपरीक्षा

3968. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के सामाजिक संपरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में निधियों का दुरुपयोग पाया गया , और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग पाया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मनरेगा के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक में मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की निगरानी तथा पात्र लाभार्थियों को धनराशि का सही हस्तांतरण करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 17 (2) के अनुसार, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षा करेगी।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 21.03.2025 की स्थिति के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा दर्शाये गए मामलों की कुल संख्या और संबंधित वित्तीय गड़बड़ी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 21.03.2025 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा दर्शाये गए कुल मामलों की संख्या और संबंधित वित्तीय गड़बड़ी का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): ग्राम सभा के बाद के मुद्दों/जांच परिणामों को सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में एसएयू संसाधन व्यक्तियों द्वारा दर्ज/अद्यतन किया जाता है, ताकि कार्यान्वयन एजेंसी से रिपोर्टिंग और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जा सके। नरेगा सॉफ्ट के अनुसार , 21.03.2025 की स्थिति के अनुसार, एसएयू द्वारा बताए गए कुल वित्तीय दुर्विनियोजन मामलों के विरुद्ध , कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 9,58,536 मामलों में कुल 242.61 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रक्रिया अपनाई है। इस योजना के तहत जारी निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-।।। में दिया गया है।

(घ): मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन (कार्यों की प्रगति) के निष्पादन की समीक्षा करता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य रोजगार गारंटी परिषदें समय-समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर राज्य तकनीकी प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत , मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।

अनुबंध-।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत 21.03.2025 तक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा बताए गए कुल मामलों की संख्या और संबंधित वित्तीय गड़बड़ी का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएयू द्वारा बताए गए मामलों की कुल संख्या	संबंधित वित्तीय दुर्विनियोजन राशि (रुपए लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	2,24,044	42381.41
2	अरुणाचल प्रदेश	204	131.28
3	असम	420	127.95
4	बिहार	11,770	2960.87

5	छत्तीसगढ़	24,554	9537.24
6	गुजरात	16	0.82
7	हरियाणा	51	10.44
8	हिमाचल प्रदेश	22,588	1138.75
9	जम्मू और कश्मीर	4,396	274.04
10	झारखंड	39,769	8764.10
11	कर्नाटक	1,19,549	29714.49
12	केरल	13,298	763.48
13	लद्दाख	0	0.00
14	मध्य प्रदेश	14,690	2539.48
15	महाराष्ट्र	1,373	1756.67
16	मणिपुर	281	35.53
17	मेघालय	90	11.93
18	मिजोरम	394	79.29
19	नागालैंड	1,552	217.44
20	ओडिशा	12,920	1236.61
21	पंजाब	8,492	5232.73
22	राजस्थान	1,221	2731.51
23	सिक्किम	901	287.87
24	तमिलनाडु	2,88,135	30701.15
25	तेलंगाना	1,38,132	17746.67
26	त्रिपुरा	2,456	1810.24
27	उत्तर प्रदेश	20,797	6550.85
28	उत्तराखंड	2,979	649.47
29	पश्चिम बंगाल	3,464	290.50
	कुल	9,58,536	1,67,682.80

नरेगा सॉफ्ट के अनुसार

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत 21.03.2025 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा बताए गए कुल मामलों की संख्या और संबंधित वित्तीय गड़बड़ी का

जिला-वार ब्यौरा			
क्र.सं.	जिले	एसएयू द्वारा बताए गए मामलों की कुल संख्या	संबंधित वित्तीय दुर्विनियोजन राशि (रुपए लाख में)
1	बागलकोट	4,391	1041.15
2	बल्लारी	1,834	579.78
3	बेलगावी	9,737	1154.38
4	बेंगलुरु	84	19.56
5	ग्रामीण बेंगलुरु	817	59.99
6	बीदर	6,482	1324.25
7	चामराजा नगर	3,198	1497.98
8	चिक्कबल्लपुर	3,599	773.34
9	चिक्कामगलुरु	7,485	1452.00
10	चित्रदुर्ग	4,628	1762.24
11	दक्षिण कन्नड़	2,765	486.13
12	दावनगेरे	1,597	1243.38
13	धारवाड़	1,771	532.28
14	गडग	9,934	1954.54
15	हसन	2,109	356.01
16	हावेरी	3,799	608.08
17	कलबुर्गी	8,197	2204.08
18	कोडागू	258	64.23
19	कोलार	3,431	901.54
20	कोप्पल	2,465	863.36
21	मंड्या	4,410	753.83
22	मैसूर	6,382	1024.77
23	रायचूर	4,882	1262.35
24	रामानगर	4,371	3101.57
25	शिवमोगा	2,105	185.29
26	तुमकुरु	5,823	1224.61
27	उडुपी	1,392	128.59
28	उत्तर कन्नड़	1,145	296.76
29	विजयनगर	4,330	1192.08

30	विजयपुरा	3,086	820.56
31	यादगीर	3,042	845.79
	कुल	119549	29714.49

नरेगा सॉफ्ट के अनुसार

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस):** यह महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दिन में दो बार दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

iii. **क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एपलिकेशन:** यह ऐप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्पड और जियोटैग्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऐप कार्यस्थल के दौरे की बाधारहित रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। यह ऐप क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को रिकॉर्ड करता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के परिणाम की रिपोर्ट दिखाता है।

iv. **जीआईएस आधारित योजना- अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग:** देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली दृष्टिकोण) तैयार करना।

v. **युक्तधारा : जीआईएस आधारित योजना उपकरण–** महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" बनाया गया है।

vi. **एसईक्यूआरई - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने हेतु अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर:-** इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की गणना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।

vii. **जियो नरेगा:** इस ऐप को अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "निर्माण के दौरान" और "निर्माण के बाद" चरणों में इसे जियोटैगिंग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके।

viii. **जलदूत ऐप:** देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप बनाया गया है। जलदूत ऐप से ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापा जाता है।

ix. **जनमनरेगा ऐप:** यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में मदद करता है। नागरिक जागरूकता योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन की कुंजी है।

x. **लोकपाल ऐप-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर आसानी से नज़र रखने और समय पर आवंटन पारित करने तथा वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट को आसानी से अपलोड करने के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है।

xi. **सामाजिक लेखा परीक्षा:** अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत संरचना की स्थापना पर जोर दिया है। मंत्रालय के लगातार प्रयासों से कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की हैं।

इसके अलावा, कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियमित और विशेष निगरानी, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम द्वारा निगरानी, सामान्य समीक्षा मिशन टीमों द्वारा निगरानी दौरे, क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, समय-समय पर राज्यों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है।